प्रश्न सं. [क्र. 693]

परिशिष्ट 1

कोरोना काल के दौरान प्रदेश में अनाथ हुए बच्चों की जानकारी और उन्हें प्रदान की गई सहयता राशि

क्रमांक	जिले का नाम	अनाथ हुए बच्चों की संख्या	बाल हितग्राही- की संख्या जिन्हें सहायता राशि प्रदान की जा चुकी हैं	प्रदाय कुल सहायता राशि	बाल हितग्राही- की संख्या जिन्हें सहायता राशि प्रदान की जाने की प्रक्रिया प्रचलन में हैं
1	भोपाल	36	24	120000	12
2	रायसेन	7	7	35000	0
3	राजगढ़	23	21	105000	2
4	सिहोर	26	20	100000	6
5	विदिशा	13	6	30000	7
6	भिण्ड	12	10	50000	2
7	मुरेना	11	11	55000	0
8	श्योपुर	13	13	65000	0
9	अशोकनगर	11	2	10000	9
10	दतिया	1	1	5000	0
11	गुना	9	9	45000	0
12	ग्वालियर	40	40	200000	0
13	शिवपुरी	17	14	70000	3
14	बेतुल	15	15	75000	0
15	हरदा	15	10	50000	5
16	होशंगाबाद	39	28	140000	11
17	अलीराजपुर	15	15	75000	0
18	बडवानी	16	12	60000	4
19	बुरहानपुर	11	11	55000	0
20	धार	22	22	110000	0
21	इंदौर	36	36	180000	0
22	झाबुआ	2	2	10000	0
23	खंडवा	42	25	125000	17
24	खरगोन	17	8	40000	9
25	बालाघाट	46	41	205000	5
26	छिंदवाडा	38	32	160000	6
27	डिंडोरी	4	4	20000	0

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

संचालक (ICPS)
महिला एवं बाल विकास
मध्य प्रदेश

परिशिष्ट 1

कोरोना काल के दौरान प्रदेश में अनाथ हुए बच्चों की जानकारी और उन्हें प्रदान की गई सहयता राशि

क्रमांक	जिले का नाम	अनाथ हुए बच्चों की संख्या	बाल हितग्राही- की संख्या जिन्हें सहायता राशि प्रदान की जा चुकी हैं	प्रदाय कुल सहायता राशि	बाल हितग्राही- की संख्या जिन्हें सहायता राशि प्रदान की जाने की प्रक्रिया प्रचलन में हैं
28	जबलपुर	44	20	100000	24
29	कटनी	10	9	45000	1
30	मंडला	9	9	45000	0
31	नरसिंहपुर	14	14	70000	0
32	सिवनी	20	18	90000	2
33	रीवा	8	5	25000	3
34	सतना	28	23	115000	5
35	सीधी	10	10	50000	0
36	सिंगरोली	6	4	20000	2
37	छतरपुर	8	8	40000	0
38	दमोह	17	12	60000	5
39	पन्ना	16	16	80000	0
40	सागर	10	10	50000	0
41	टीकमगढ़	14	14	70000	0
42	निवाड़ी	9	9	45000	0
43	अनूपपुर	7	7	35000	0
44	शहडोल	7	4	20000	3
45	उमरिया	2	2	10000	0
46	आगर	8	8	40000	0
47	देवास	50	43	215000	7
48	मंदसौर	29	29	145000	0
49	रतलाम	37	20	100000	17
50	नीमच	9	9	45000	0
51	शाजापुर	20	9	45000	11
52	उज्जैन	34	29	145000	5
		963	780	3900000	183

(5) केंद्रीय सरकार, संपरीक्षा रिपोर्ट को प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

3

अध्याय 9

बालकों के विरुद्ध अन्य अपराध

बालक की पहचान के प्रकटन का प्रतिषेध।

74. (1) किसी जांच या अन्वेषण या न्यायिक प्रक्रिया के बारे में किसी समाचारपत्र, पत्रिका या समाचार पृष्ठ या दृश्य-श्रव्य माध्यम या संचार के किसी अन्य रूप में की किसी रिपोर्ट में ऐसे नाम, पते या विद्यालय या किसी अन्य विशिष्टि को प्रकट नहीं किया जाएगा, जिससे विधि का उल्लंघन करने वाले बालक या देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक या किसी पीड़ित बालक या किसी अपराध के साक्षी की, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसे मामले में अंतर्वलित है, पहचान हो सकती है और न ही ऐसे किसी बालक का चित्र प्रकाशित किया जाएगा:

परंतु यथास्थिति, जांच करने वाला बोर्ड या समिति, ऐसा प्रकटन, लेखबद्ध किए जाने वाले ऐसे कारणों से तब अनुज्ञात कर सकेगी, जब उसकी राय में ऐसा प्रकटन बालक के सर्वोत्तम हित में हो।

(2) पुलिस, चरित्र प्रमाणपत्र के प्रयोजन के लिए या अन्यथा बालक के किसी अभिलेख का, ऐसे मामलों में प्रकटन नहीं करेगी जहां कि मामला बंद किया जा चुका हो या उसका निपटारा किया जा चुका हो।

(3) उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो लाख तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

बालक के प्रति क्रूरता के लिए दंड।

75. जो कोई बालक का वास्तविक भारसाधन या उस पर नियंत्रण रखते हुए उस बालक पर ऐसी रीति से, जिससे उस बालक को अनावश्यक मानसिक या शारीरिक कष्ट होना संभाव्य हो, हमला करेगा, उसका परित्याग करेगा, उत्पीड़न करेगा, उसे उच्छिन्न करेगा या जानबूझकर उसकी उपेक्षा करेगा या उस पर हमला किया जाना, उसका परित्याग, उत्पीड़न, उच्छिन्न या उसकी उपेक्षा किया जाना कारित करेगा या ऐसा किए जाने के लिए उसे उपाप्त करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या एक लाख रुपए के जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा:

परन्तु यदि यह पाया जाता है कि जैविक माता-पिता द्वारा बालक का ऐसा परित्याग उनके नियंत्रण के परे की परिस्थितियों के कारण है, तो यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसा परित्याग जानबूझकर नहीं है और ऐसे मामलों में इस धारा के दांडिक उपबंध लागू नहीं होंगे:

परंतु यह और कि यदि ऐसा अपराध किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जो किसी संगठन द्वारा नियोजित है या उसका प्रबंधन कर रहा है, जिसे बालक की देखरेख और संरक्षण सौंपा गया है, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा:

परंतु यह भी कि पूर्वोक्त क्रूरता के कारण यदि बालक शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है या उसे मानसिक रोग हो जाता है या वह मानसिक रूप से नियमित कार्यों को करने में अयोग्य हो जाता है या उसके जीवन या अंग को खतरा होता है, ऐसा व्यक्ति कठोर कारावास से, जो तीन वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और पांच लाख रुपए के जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

भीख मांगने के लिए बालक का नियोजन।

76. (1) जो कोई भीख मांगने के प्रयोजन के लिए बालक को नियोजित करता है या किसी बालक से भीख मंगवाएगा वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष की हो सकेगी और एक लाख रुपए के जुर्माने से भी दंडनीय होगा:

परंतु यदि भीख मांगने के प्रयोजन के लिए व्यक्ति बालक का अंगोच्छेदन करता है या उसे विकलांग बनाता है तो वह कारावास से, जो सात वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और पांच लाख रुपए के जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन भोपाल

सहायक संचालक (ICPS)
महिला एवं बाल विकास